

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन भोपाल -462003
Email ID-heplan@mp.gov.in

भोपाल, दिनांक 28 / 04 / 2021

क्रमांक / 330 / 168 / आउशि / योजना / 2021
प्रति,

प्राचार्य,
शासकीय विज्ञान महाविद्यालय
जबलपुर (म.प्र.)

विषय:- स्ववित्तीय योजनान्तर्गत आत्मनिर्भर इन्टीकेट- 16.5 अनुसार सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा कोर्स प्रारंभ करने की अनुमति बाबत।

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत विश्वविद्यालय अधिनियम 1073 के प्रावधान 26 (1) पांच के अंतर्गत आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा आपके महाविद्यालय में निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत नीचे दर्शित सर्टिफिकेट कोर्स एवं डिप्लोमा कोर्स 6 माह एवं डिप्लोमा कोर्स एवं वर्षीय पाठ्यक्रम कक्षाएँ अस्थाई रूप से सत्र 2021-22 से प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जाती है -

1.रूरल टेक्नालॉजी 2.सर्टिफिकेट कोर्स इन वोकेशन इन फूड प्रोसेसिंग टेक्नालॉजी 3. सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्प्यूटिंग एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट	1. डिप्लोमा इन वोकेशन इन फूड प्रोसेसिंग टेक्नालॉजी 2. डिप्लोमा इन कम्प्यूटिंग एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट
<ol style="list-style-type: none">उक्त पाठ्यक्रम हेतु किसी को शासकीय सेवा से नियुक्त नहीं किया जायेगा।कोई शासकीय अधिकारी/कर्मचारी स्ववित्तीय पाठ्यक्रम के तहत मानदेय प्राप्त नहीं करेगा।अध्ययन व्यवस्था अतिथि विद्वानों को आमंत्रित कर की जावे।विभिन्न मदों में किये जाने वाले व्यय में पूर्ण मितव्यता बरती जाये।कोई नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जावे।लिपिक, भृत्य आदि पृथक से न रखे जाये।शासन कोई अनुदान/बजट नहीं देगा।प्रवेश देने में प्रवेश नियमों का कड़ाई से पालन अनिवार्य रूप से किया जाये।कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं होगा।विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त किये बिना प्रवेश न दिये जाये।	
<ol style="list-style-type: none">वर्ष 2021-22 से प्रवेश प्रारम्भ करने के लिये शैक्षणिक स्टाफ की पर्याप्त व्यवस्था हो।प्रयोगशाला की संपूर्ण सुविधायें प्रवेश प्रारम्भ करने के पूर्व सुनिश्चित की जाये।म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय के पत्र क्रं एफ/331/1569/2007/2/38 दिनांक 18.2.2008 के अनुसार कार्यवाही की जाये।शासन द्वारा समय समय पर दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावे।यह अनुमति प्रमाण पत्र किसी महाविद्यालय को तब तक डिप्लोमा पाठ्यक्रम के विषय प्रारंभ करने/नई कक्षाएँ प्रारंभ करने के लिये अधिकृत नहीं करेगा, जब तक अधिनियम 1973 की धारा 24 (X) के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता प्रदान नहीं कर दी जाती है।पाठ्यक्रम संचालन से संबंधित सम्पूर्ण व्यय महाविद्यालय द्वारा संचालित जनभागीदारी समिति की वित्तीय निधि से वहन करना सुनिश्चित किया जाए।	

(प्रशासकीय विभाग द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. धीरेन्द्र शुक्ल)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 28 / 04 / 2021

पृष्ठा.क्रमांक 331 / 168 / आउशि / योजना / 2021
प्रतिलिपि:-

- 1/ कुल सचिव, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर म0प्र0 की ओर सूचनार्थ एवं धारा24(X)के अंतर्गत शीघ्र प्रतिवेदन भेजने हेतु ।
- 2/ अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा जबलपुर संभाग जबलपुर मध्यप्रदेश ।
..... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश